

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## आज्ञा - पत्र



उनवान

रऊफ खां ..... बनाम ..... नसीर खां

किसम मुकद्दमा धारा - 223 ..... मि. नं. 64/2017 ..... सन्

अभिभाषक अपीलान्त श्री सी. पी. खण्डेलवाल ..... अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट श्री एन. सुजन

श्री शक्तिबाज खान - R-1/063  
श्री एन. सुजन  
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता - R-3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-07-22	<p>पत्रावली पेश हुई। अन्नित्राषक गण उन्नयपक्ष उपास्थित। अन्नित्राषक अपीलान्त द्वारा एक प्रार्चना पत्र अपील नोट प्रेस में स्वारिज किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्चना पत्र के आधार पर रैस्पोंडेन्ट नसीर मोहम्मद आत्मज इनायत खां की मृत्यु दिनांक 23-03-2021 को हो चुकी है। प्रार्चना के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है। प्रार्चना पत्र के आधार पर नसीर मोहम्मद अपीलान्त का पिता है। पुश्तैनी आराजी होने के आधार पर अपीलान्त ने अचीनस्व न्यायालय में वाद पेश किया था। परन्तु रैस्पोंड नसीर मोह की मृत्यु हो जाने से अपीलान्त उक्त अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अन्नित्राषक अपीलान्त द्वारा अपील बाबत कोई काउन्टर क्लेम भी नहीं है। प्रार्चना पत्र पर रैस्पोंडेन्ट गण के अन्नित्राषकों द्वारा NO Objection तस्दीक किया गया। आदेशिका पर अपीलान्त रऊफ खां के हस्ताक्षर व आधार कार्ड की दाय्याप्रति पेश किये। जिनको अन्नित्राषक अपीलान्त श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल एडवोकेट तस्दीक किया गया। अतः अन्नित्राषक अपीलान्त व अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्चना पत्र के आधार पर अपील सं. 64/2017 NOTE PRESS में स्वारिज की जाती है। पत्रावली फैसलेशपत्र होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>11-07-22 रऊफ खां नसीर खां श्री एन. सुजन श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता</p>  

**श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल**  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा (राज0)

खादनीया  
802  
(2.6.2017)

जागरण  
श्री. श्री. ज. मोहम्मद आर. ए.  
जय श्री 502  
के सुप्रीम कोर्ट



रउफ खॉ आत्मज नसीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी आवर तहसील पचपहाड जिला झालावाड हाल नि. चम्पानदी के पास मेदसोर — अपीलान्ट बनाम

1. नसीर मोहम्मद आत्मज इनायत खॉ जाति मुसलमान निवासी आवर तहसील पचपहाड जिला झालावाड
2. मुमताज बी पत्नी अददुखां जाति मुसलमान निवासी आवर तहसील पचपहाड जिला झालावाड
3. कालू सिंह आत्मज गंगाराम जाति राजपूत निवासी गर्गनी हाल मोरु खेडी
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड
5. जफर खां पुत्र कम्युम खां मुसलमान नि. भाबर जिला झालावाड. — रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश एवं डिक्री दिनांक 10.05.17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानी मण्डी

प्रकरण संख्या 23/दावा / 17

उनवान रउफ खां बनाम नसीर मोहम्मद

अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपील अवधि मध्य निम्न कारणो से पेश है:-

1. यह कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है।
2. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो की अनदेखी कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत केम्प आवर में दिनांक 10.05.17 को कर अपीलान्ट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में

13/6/17

श्री. श्री. ज. मोहम्मद आर. ए.

91617